उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 247 /XXIII/ 08/77/2007
देहरादूनः दिनांकः 27 मई, 2008

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए निम्न नियम बनाते हैं :-

यह नियम दिनांक 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी रहेंगे।

1- लाईसेन्स फीस का निर्धारण :-

वर्ष 2008-09 हेतु मदिरा की फुटकर दुकानों की नई दरें निम्नवत होंगी :-

देशी मदिरा

क्र0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	वर्ष 2008-09 हेतु लाईसेंस फीस (रूपये में)
1	0 से 12000 तक	1,16,000
2	12001से 30000 तक	2,52,000
3	30001से 60000 तक	5,03,000
4	60001से 1,00,000 तक	9,07,000
5	1,00,001 से 1,50,000 तक	13,59,000
6	1,50,001 से 2,00,000 तक	18,12,000
7	2,00,001 से 2,50,000 तक	20,93,000
8	2,50,001 से 3,00,000 तक	25,11,000
9	3,00,000 से अधिक	27,79,000

विदेशी मदिरा

क्र0 स0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बोतल में	वर्ष 2008–09 हेतु लाईसेंस फीस (रूपये में)
1	0 से 6000 तक	1,16,000
2	6001से 12,000 तक	2,27,000
3	12,001से 25,000 तक	4,53,000
4	25,001से 50,000 तक	9,05,000
5	50,001 से 75,000 तक	13,57,000
6	75,001 से 1,00,000 तक	18,10,000
7	1,00,001 से 1,25,000 तक	22,62,000
8	1,25,001 से 1,50,000 तक	25,07,000
9	1,50,000 से अधिक	28,25,000

टिप्पणी – किसी भी दुकान की लाईसेन्स फीस गत वर्ष की तुलना में कम निर्धारित नहीं की जायेगी। प्रत्येक दुकान की लाईसेन्स फीस वर्ष 2007–08 की नीति के अनुरूप वर्ष 2007–08 के वास्तविक उठान के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

2– न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण :–

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में वर्ष 2008–09 में निम्नानुसार वृद्धि की जायेगी :–

क्र0 स0	वर्ष 2007–08 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या व अतिरिक्त उठान	वृद्धि लक्ष्य
1	जिन दुकानों पर 100 या उससे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए अथवा जिन पर वर्ष के दौरान अतिरिक्त उठान किया गया –	27.0 प्रतिशत
2	जिन दुकानों पर 51 या उससे अधिक परन्तु 99 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए –	25.0 प्रतिशत
3	जिन दुकानों पर 25 या उससे अधिक परन्तु 50 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए –	20.0 प्रतिशत
4	जिन दुकानों पर 15 या उससे अधिक परन्तु 24 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए –	17.0 प्रतिशत
5	जिन दुकानों पर 2 या उससे अधिक परन्तु 14 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए –	15.0 प्रतिशत
6	जिन दुकानों पर एक अथवा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ –	10.0 प्रतिशत

वर्ष 2007–08 में दुकान पर अतिरिक्त उठान की राशि को दुकान की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़कर आयी राशि पर उपरोक्तानुसार वृद्धि की गणना की जायेगी।

3– राजस्व निर्धारण :–

प्रस्तावित नीति के उपरोक्त बिन्दु 2 के अनुसार दुकानवार निर्धारित की गयी न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस की राशि को जोड़कर वर्ष 2008–09 हेतु दुकानवार राजस्व की राशि का आगणन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारित लाईसेन्स फीस के अनुरूप श्रेणीवार अधिकतम सीमा तक मदिरा का उठान अनुमन्य होगा। अधिकतम सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री होने पर उस दुकान के अनुज्ञापी को लाईसेन्स फीस हेतु निर्धारित अगली उच्च श्रेणी की लाईसेन्स फीस देनी होगी।

4– देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटन :–

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित हो जाने के उपरान्त जिलाधिकारियों द्वारा निजी आवेदकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से निर्धारित राजस्व पर देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप (जिसे सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा) पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 10,000/– की फीस नकद अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित राज्य एवं जिला सहकारी बैंक अरबन को–ओपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन–पत्र शुल्क (प्रोसेसिंग फी) नॉन रिफन्डेबिल (Non-Refundable) होगी। प्रोसेसिंग फी राजकोष में अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया से जमा की जायेगी। जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो, उसे दुकान आवंटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक अपनाई जायेगी, जब तक कि समस्त दुकानें व्यवस्थापित नहीं हो जाती हैं;

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2008–09 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर भी चलायी जा सकती है। इसके लिये अन्य के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा आवेदन करने पर निर्धारित राजस्व के सापेक्ष दैनिक मूल्य पर दुकान संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो, उसी तहसील के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे;

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी या विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन के लिये सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

5– पात्रता :–

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें अग्रलिखित शर्तों के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होंगी किन्तु अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न न होने की दशा में ऐसे आवेदनों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवदेनों को प्रथम दृष्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेन्सिंग प्राधिकारी को होगा। यदि किसी आवेदक के नाम अचल सम्पत्ति नहीं है तो वह अपने परिवार की सम्पत्ति को हैसियत प्रमाण–पत्र के रूप में लाईसेन्सिंग प्राधिकारी के नाम Mortgaged कर हैसियत प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र की राशि की कमी के एवज में उस राशि के बराबर राशि के बने बैंक ड्राफ्ट (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिभूत होंगे जमा कराये जा सकेंगे। अनुज्ञापी का स्थाई रूप से उत्तराखण्ड का निवासी होना अनिवार्य है, अतः दुकान हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

6– देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना :–

निकासी हेतु वर्ष 2008–09 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विपरीत देशी मदिरा की प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के आधार पर दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारित लाईसेन्स फीस के अनुरूप श्रेणीवार अधिकतम सीमा तक मदिरा का उठान अनुमन्य होगा, अधिकतम सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री होने पर उस दुकान के अनुज्ञापी को लाईसेन्स फीस हेतु निर्धारित अगली उच्च श्रेणी की लाईसेन्स फीस देनी होगी, जिसके उपरान्त

वह उससे अगली उच्च श्रेणी की लाईसेन्स फीस के विपरीत देय मदिरा की अधिकतम मात्रा को न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की मूल दर पर उठा सकेगा।

विदेशी मदिरा तथा वियर की निकासी पर फुटकर अनुज्ञापी को प्रति पेटी एसेसमेन्ट फीस देनी होगी।

7– देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर :–

(एक) विदेशी मदिरा पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 56.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देशी मदिरा (36वी0/वी0 तीव्रता) पर ड्यूटी रू0 75.00 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

(दो) वियर पर अभिकर की दर गत वर्ष के समान 5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता की वियर पर 13 रू0 प्रति बल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक 8 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता तक की वियर पर 25 रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

8– विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना :–

विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना हेतु दर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 58.00 प्रति बोतल
2. रू0 22.01 से रू0 25.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ......रू0 60.00 प्रति बोतल
3. रू0 25.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 65.00 प्रति बोतल
4. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ......रू0 75.00 प्रति बोतल
5. रू0 55.01 से 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 85.00 प्रति बोतल
6. रू0 75.01 से 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 110.00 प्रति बोतल
7. रू0 150.01 से रू0 300.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर ...रू0 120.00 प्रति बोतल
8. रू0 300.01 से 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 150.00 प्रति बोतल
9. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 200.00 प्रति बोतल

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्धारित लेबिल रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करनी होगी।

9– सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेस्मेन्ट फीस की दर :–

सैन्य कैन्टीनो द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेसमेन्ट फीस की दर गत वर्ष के समान रहेगी।

वर्ष 2008–09 के लिये एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिये रू0 5,000/–लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है।

(एक) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी :–

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोडकर) रू0 56.00 प्रति ए0एल0

(ब) रियायती रम (कोई परिवर्तन नही) रू0 45.00 प्रति ए0एल0

(स) बियर – एफ0एल0–9 के अन्तर्गत सिविल मार्केट (एफ0एल0–5) के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(द) असेसमेन्ट फीस की दरें।

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा(स्प्रिट)/रियायती रम वर्ष 2007–08 की निर्धारित दरों पर।

(ब) बियर– कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2007–08 की भांति रहेगी।

10– मदिरा का विक्रय मूल्य :–

वित्तीय वर्ष 2007–08 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बियर का अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

11– विदेशी मदिरा/बियर के थोक (एफ0एल0–2/2बी) अनुज्ञापन :–

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एफ0एल0–2/2बी अनुज्ञापन केवल विदेशी मदिरा के निर्माता (Manufacturers/Distilleries /Breweries) को अपने उत्पाद बेचने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2008–09 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य पैक के सम्बन्ध में शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

वर्ष 2008–09 में प्रदेश के थोक विदेशी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 के लिये रू0 2.00 लाख एवं एफ0एल0–2 बी के लिये रू 1.00/– लाख रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त एफ0एल0–2/2बी की लाईसेन्स फीस प्रति पेटी निम्नानुसार वसूल की जायेगी, जिससे कम बिक्री वाले विदेशी मदिरा के निर्माता (Manufacturers/ Distilleries /Breweries) भी अपने ब्राण्डस प्रदेश में बेच सकें :–

प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिये एफ0एल0–2 हेतु लाईसेन्स फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिये।	प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिये एफ0एल0–2बी हेतु लाईसेन्स फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिये।
न्यूनतम दो लाख रूपये के अधीन रहते हुये एफ0एल0–2 की लाईसेन्स फीस विदेशी मदिरा की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12	न्यूनतम एक लाख रूपये के अधीन रहते हुये एफ0एल0–2बी की लाईसेन्स फीस बियर की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12

प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी वसूल की जायगी।	प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी वसूल की जायेगी।

विदेशी मदिरा की निकासी पर एसेसमेन्ट फीस की राशि निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी:–

क्र0 स0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0–2/2बी स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेन्ट फीस का प्रस्तावित भार (रूपये में)
1	रू0 25.00 तक	80/–
2	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	115/–
3	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	125/–
4	रू0 55.01 से 75.00 तक	140/–
5	रू0 75.01 से 150.00 तक	150/–
6	रू0 150.01 से 300 तक	160/–
7	रू0 300.01 से 450.00 तक	180/–
8	450 से ऊपर	200/–
9	बियर एवं वाईन	60/–

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे। सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता विदेशी मदिरा के केवल अपने ब्रान्डस ही उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेन्सों एवं एफ0एल0–2/2बी लाईसेन्सों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार यथावत होगा। विदेशी मदिरा व बियर के आयात पर गत वर्ष के समान आयात फीस ली जायेगी।

प्रदेश के प्रत्येक जिले में एफ0एल0 2 हेतु गोदाम की व्यवस्था आबकारी विभाग द्वारा पी0डब्लू0डी0 की दरों पर प्रत्येक एफ0एल0–2 लाईसेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी. इस गोदाम पर आबकारी विभाग के पूर्ण नियन्त्रण हेतु आबकारी विभाग का ताला लगा होगा, जिसकी चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के पास रहेगी।

12– गढवाल मण्डल के पांच जनपदों में देशी मदिरा की दुकानों/बारों का संचालन:–

गढवाल मण्डल के पांच जनपदो पौडी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी व रुद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2007–08 की भांति केवल विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें

ही सचालित की जायेगीं। दुकानों का स्थल निर्धारण सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। गढवाल मण्डल के उपरोक्त पांच जनपदो म बार/बियरबार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे (20 शैया) वाले होटल/रिसॉर्ट जो मुख्य यात्रा मार्ग से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित हो, को ही स्वीकृत किये जा सकेंगे। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेंगे।

13— जनपदों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नयी दुकाने :—

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों मे स्वविवेकानुसार नई दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगे परन्तु नयी दुकान को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व, दुकान की स्थिति यथा—स्कूल, धार्मिक स्थल, चिकित्सालय, मुख्य राष्ट्रीय / राजमार्ग/यात्रा मार्ग एवं मलिन बस्तियों के समीप न हो, एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

14 जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध मे भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार उपरोक्त प्रस्तर- 13 में उल्लिखित मानकों के अनुरूप निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा। यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध मे भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों तथा उपरोक्त प्रस्तर 13 में उल्लिखित मानकों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेंगे परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं होने दिया जायेगा।

15— बार एवं क्लब बार लाईसेन्स :—

बार एवं क्लब बार अनुज्ञापन/परमिट के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर निम्नानुसार होगी :-

1 रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 75.00 प्रति बोतल
2 रू0 55.01 से 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 85.00 प्रति बोतल
3 रू0 75.01 से 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 110.00 प्रति बोतल
4 रू0 150.01 से रू0300.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 120.00 प्रति बोतल
5 रू0 300.01 से 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 150.00 प्रति बोतल
6. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 200.00 प्रति बोतल

उक्त दरों से निम्न दरों की विदेशी मदिरा की बिक्री बार एवं क्लब बारों मे प्रतिबन्धित रहेगी। होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार

लाईसेन्स निर्गत किये जायेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्था एवं शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी।

बड़े व्यवसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

16– बियर बार लाईसेन्स :–

बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु नीति गत वर्ष के समान रहेगी। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हें रू0 20,000/–(बीस हजार रूपये) प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे एवं सीजनल बियर बार हेतु लाईसेन्स फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस की आधी अर्थात रू0 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र) होगी।

ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को बियर बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो।

17– आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना :–

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी :–

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु आसवनियों की स्थापना के लिये अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा, इन्डस्ट्रियल अल्कोहल का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के लिये प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेन्स दिये जाने पर विचार किया जायेगा, परन्तु ऐसे आवेदकों को शीरा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिये प्रतिष्ठित एवं ख्यातिप्राप्त विदेशी मदिरा के ब्रान्डस की भराई हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाटलिंग प्लान्ट का अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा। छोटे निर्माताओं के लिये एफ0एल0एम0–3 लाईसेन्स की कम बोतल भराई की अलग समानुपातिक लाईसेन्स फीस के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा शासन की पूर्वानुमति से बनायी जायेगी।

व्हिस्की, ब्रान्डी, रम व जिन की भराई हेतु एफ0एल0–3 ए लाईसेन्स के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेन्स फीस संदेय होगी। इन लाईसेन्सों के अन्तर्गत भरी गयी विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर क्रमशः रू0 4.00/–, 2.00/– तथा 1.00/– बाटलिंग फीस देय होगी अन्य पैकों में भरी विदेशी मदिरा पर समानुपातिक दर से बाटलिंग फीस देय होगी। निर्यात की दशा में सम्बन्धित विनिर्माणशाला को निर्यात फीस एवं अन्य ऐसे देय जो शासन समय–समय पर निर्धारित करेगा, अदा करने होंगे।

एफ0एल0–3ए के अन्तर्गत बियर की भराई की स्थिति में बोतल भराई फीस रू0 0.50 प्रति बोतल व रू0 0.30 प्रति अद्धा के अतिरिक्त रू0 0.25 प्रति बोतल व रू0 0.15 प्रति अद्धा एफ0एल0–3ए की लाईसेन्स फीस अधिरोपित की जायेगी।

एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की भराई की स्थिति में प्रत्येक बोतल/अद्धा/पौवा पर क्रमशः रू0 2.00/–, 1.00/– तथा 0.70/– बाटलिंग फीस देय होगी अन्य पैकों में भरी विदेशी मदिरा पर समानुपातिक दर से बाटलिंग फीस देय होगी। प्रदेश से निर्यात की जाने वाली विदेशी मदिरा पर एफ0एल0–3, एफ0एल0–3 ए व एफ0एल0एम0–3 लाईसेंस के अन्तर्गत बाटलिंग फीस में कोई बढोत्तरी नहीं की जायेगी।

(ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा तथा वाईन किन धारिता की बोतलों में भरी जायेगी इसके निर्धारण हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत होंगे। इसके अतिरिक्त गत वर्ष के समान ड्राफ्ट बियर की बिक्री की अनुमति बारों/कैन्टीनों में दी जा सकेगी। राज्य के फल उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुये प्रदेश में नयी विन्टनरी द्वारा यदि उत्पादित वाईन का शत–प्रतिशत निर्यात किया जायेगा, तो विन्टनरी की स्थापना के पांच वर्षो तक बाटलिंग फीस नहीं ली जायेगी।

(घ) वित्तीय वर्ष 2008–09 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 8 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली अल्कोहलिक ब्रिवरेजस् को बेचने की अनुमति दी जायेगी, जिनमें उपस्थित अल्कोहल की मात्रा पर रू0 56/– प्रति एल्कोहल लीटर की दर से उत्पाद शुल्क वसूला जायेगा। इस प्रकार के ब्रिवरेजस् किन धारिता की बोतलों मे बेची जायेगी, इसका निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा शासन की पूर्वानुमति से किया जायेगा।

18– गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्ट:–

पेट्रोल में मिलाने हेतु एनहाइड्रस अल्कोहल का निर्माण करने के लिये आसवनी स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेन्स दिये जाने पर विचार किया जायेगा, परन्तु ऐसे आवेदकों को शीरा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी।

19– देशी एवं विदेशी मदिरा (केवल सिविल सप्लाई हेतु) की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडिसिव लेबिल लगाये जायेंगे। विदेशी मदिरा के लेबिल्स पर बार कोडिंग की व्यवस्था राज्य में भी यथाशीघ्र लागू की जायेगी।

20– विदेशी मदिरा की भराई के लिये पुरानी बोतलों के पूर्व से हो रहे उपयोग को देखते हुये देशी मदिरा की भराई हेतु भी नयी बोतलों के साथ–साथ उत्तराखण्ड एम्बोस्ड पुरानी साफ शीशे की बोतलों को देशी मदिरा भरने हेतु प्रयोग में लाया जा सकेगा।

21– जनपद में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से सी0एल0–2 अनुज्ञापन प्रत्येक जनपद में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेंगे, जिसका अनुज्ञापन शुल्क शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर तीनों आसवनियों में राज्य स्तर पर विभिन्न जनपदों की मांग अनुसार यथासम्भव कम से कम तीन बराबर भागों में विभाजित कर निर्धारित की जायेगी। यदि सी0एल0–2 अनुज्ञापी सरकारी गोदामों के परिसर से देशी मदिरा की थोक बिक्री करना चाहते हैं तो उन्हें सम्बन्धित परिसर का बाजार मूल्य पर किराया देना होगा। किराये का निर्धारण लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

22– विदेशी मुद्रा अर्जन के लिये विदेशी मदिरा, बियर एवं ई0एन0ए0 को देश के बाहर निर्यात किये जाने हेतु नियमों में आवश्यक व्यवस्थायें बनायी जायेंगी।

23– भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित व्यवस्था यथावत रहेगी।

24– रेस्त्रां बार, तीन सितारा, चार सितारा एवं पांच सितारा होटलों की लाईसेंस फीस विगत वर्ष 2007–08 में निर्धारित लाईसेंस फीस के डेढ गुना होगी। क्लब बार परमिट धारकों की वार्षिक फीस में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। ओकेजनल बार लाईसेन्स हेतु रू0 2000/– प्रतिदिन लाईसेन्स फीस होगी। प्राइवेट बैन्क्वेट (Banquet) हाल एवं होटलों को ओकेजनल बार लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आबकारी विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन फीस रू0 1,000/– होगी।

25— वित्तीय वर्ष 2008—09 में मदिरा दुकानें प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक खोली जायेंगी।

26— फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में एडवान्स में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों में अनुज्ञापी की देयता के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

27— अनुज्ञापियों/बॉण्ड धारकों द्वारा अन्य प्रदेशों से लाई जा रही मदिरा/बियर तथा प्रदेश के अन्दर थोक आपूर्ति हेतु परिवहित की जा रही देशी/विदेशी मदिरा/बियर का परिवहन केवल निर्धारित मार्ग (Route) से ही अनुमन्य होगा एवं वर्ष 2007—08 में लागू की गयी व्यवस्था वर्ष 2008—09 में भी जारी रहेगी। निर्धारित मार्ग के अतिरिक्त मदिरा का परिवहन होने पर उसे अवैध मानते हुये राज्य के पक्ष मे जब्त किया जायेगा तथा तदनुसार सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

28— राज्य में मदिरा के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी विभाग के प्रिवेन्टिव क्षेत्रों में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों को रिवाल्वर तथा उप आबकारी निरीक्षकों, प्रधान आबकारी सिपाहियों व आबकारी सिपाहियों को बन्दूकें उपलब्ध करायी जायेगी।

29— अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्ष 2007—08 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्या: 267(1)/XXIII/08/77/2007 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन उत्तराखण्ड शासन के असाधारण गजट के दिनांक   , 2008 के विधायी परिशिष्ट भाग—4 खण्ड 'क' में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियाँ सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन, देहरादून तथा 200 प्रतियाँ आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एन0 एस0 डुगरियाल)
अनु सचिव

संख्या 567 (2)/XXIII/ 08/77/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0 एस0 डोगरियाल)
अनु सचिव